

## प्रतिभा किरण योजना

योजना का उद्देश्य :-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को सहायता देना.

योजना की शर्तें/पात्रता :-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी छात्राओं जिन्होंने कक्षा 12 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण को हो. उसी सत्र में ही महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो.

योजना के प्रमुख लाभ :-

योजना के अंतर्गत चयनित छात्राओं को परंपरागत उपाधि पाठ्यक्रम हेतु राशि 300 प्रतिमाह (10 माह ) तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु राशि 750 प्रतिमाह (10 माह ) दिए जाएंगे.

संपर्क :-

सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य

प्रतिभा किरण योजना के ऑनलाइन फॉर्म हेतु सम्बंधित अधिकारी से संपर्क करे